



Government of Rajasthan
Directorate of Medical Education
चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर-302004
Email- addr.dme-rj@gov.in

क्रमांक: एफ. 7(26)(38)/डीएमई / यू.जी. अजमेर / 2021 / 3217

दिनांक 25/7/22

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 99, वित्तीय वर्ष 2022-23

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,

चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर।

विषय:- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना यू.जी. सीट अभिवृद्धि के अन्तर्गत बस एवं एसयूवी क्रय किये जाने हेतु बजट आवंटन बाबत।

संदर्भ:- वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. क्रमांक 152200723, दिनांक 30.06.2022

प्रसंग:- चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर द्वारा प्रेषित पत्रांक 15105/बजट/प्लान/यू.जी. सीट अभिवृद्धि/एमसीए/2022-23, दिनांक 13.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर द्वारा प्रासंगिक पत्र के अधीन केन्द्रीय प्रवर्तित योजना यू.जी. सीट अभिवृद्धि अन्तर्गत 01 बस एवं 01 एस.यू.वी. क्रय किये जाने हेतु बजट मद 4210-03-789-(05)-[03]-06 वाहनों का क्रय मद में सी.ए. में 36.00 लाख रु. तथा एस.एफ. में 24.00 लाख रु. कुल 60.00 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निम्न शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा राशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों की पालना अन्तर्गत किया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार एवं राज्य सरकार को यथा समय प्रेषित किया जायेगा।
उक्त अतिरिक्त प्रावधित राशि रु. 60.00 लाख आई.एफ.एम.एस. वा आई.डी. संख्या 380 द्वारा ऑनलाईन अपलोड की जा चुकी है।

(गौरव चतुर्वेदी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
दिनांक

क्रमांक: एफ. 7(26)(38)/डीएमई / यू.जी. अजमेर / 2021 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना विभाग, राज., जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज., जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अजमेर।
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा नं. 98 ए, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, आयोजना अनुभाग, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव



Government of Rajasthan
Directorate of Medical Education
चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर-302004
Email- adddir.dme-rj@gov.in

क्रमांक: एफ. 7(26)(38)/डीएमई / यू.जी. अजमेर / 2021 /

दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या...99...वित्तीय वर्ष 2022-23

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,

चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर।

विषय:- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना यू.जी. सीट अभिवृद्धि के अन्तर्गत बस एवं एसयूवी क्रय किये जाने हेतु बजट आवंटन बाबत।

संदर्भ:- वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. क्रमांक 152200723, दिनांक 30.06.2022

प्रसंग:- चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर द्वारा प्रेषित पत्रांक 15105/बजट/प्लान/यू.जी. सीट अभिवृद्धि/एमसीए/2022-23, दिनांक 13.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर द्वारा प्रासंगिक पत्र के अधीन केन्द्रीय प्रवर्तित योजना यू.जी. सीट अभिवृद्धि अन्तर्गत 01 बस एवं 01 एस.यू.वी. क्रय किये जाने हेतु बजट मद 4210-03-789-(05)-[03]-06 वाहनों का क्रय मद में सी.ए. में 36.00 लाख रु. तथा एस.एफ. में 24.00 लाख रु. कुल 60.00 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निम्न शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा राशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों की पालना अन्तर्गत किया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार एवं राज्य सरकार को यथा समय प्रेषित किया जायेगा।

उक्त अतिरिक्त प्रावधित राशि रु. 60.00 लाख आई.एफ.एम.एस. वा आई.डी. संख्या 380 द्वारा ऑनलाईन अपलोड की जा चुकी है।


(गौरव चतुर्वेदी)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक 25/7/22

क्रमांक: एफ. 7(26)(38)/डीएमई / यू.जी. अजमेर / 2021 / 317

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना विभाग, राज., जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज., जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अजमेर।
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा नं. 98 ए, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, आयोजना अनुभाग, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

F7
00625

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
कार्यालय - टिप्पणी

संदर्भ

F.7(26)(38)/DME/2021
ME/AJM ()/22-23

ID. No.152200723
Date.30.06.2022

261

विभागीय प्रस्ताव पैरा 256-260/एन के क्रम में चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना यूजी सीट्स में अभिवृद्धि के अंतर्गत 01 बस व 01 एस.यू.वी. क्रय किए जाने हेतु बजट मद 4210-03-789-(05)-[03]-06 वाहनों का क्रय मद में CA में 36 लाख रु. तथा SF में 24 लाख रु. कुल 60 लाख रु. का अतिरिक्त बजट प्रावधान किए जाने की वित्त विभाग की सहमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि राशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पालना अंतर्गत किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार व राज्य सरकार को यथा समय प्रेषित किया जाएगा।

262

उक्त अतिरिक्त प्रावधित राशि रु. 60.00 लाख आईएफएमएस पर आईडी संख्या 380 द्वारा ऑनलाईन अपलोड की जा चुकी है।

263

यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Dr
30/6/22

(हेमपुष्पा शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (व्यय-1) विभाग

264

1130/PSM/22
01-7-22

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा शिक्षा

V
31/7
वैभव मालपिका
प्रमुख शासन सचिव (चि.शि.)

CME

AD (Adm.)

Dr
05/07

DR. GHANSHYAM
COMMISSIONER-M.E.

265

266

FAHE

AD

CME 6/7/2022

बलवीर बासीडा
लेखाधिकारी

267

AD (Acad)

Dr
5/7
Dr

हेम प्रभा
वित्तीय सहायक

Dr
1/7/22
Dr. R. Arya
Additional Director (Academic)
Directorate of Technical Education